कार्यवृत्त

शुक्रवार, 27 कार्तिक, शक संवत्, 1938

(दिनांक 18 नवम्बर, 2016 ई0)

खण्ड–46
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैंण में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदन का बहिष्कार जारी रहा तथा उसका कोई सदस्य सदन मे उपस्थित नहीं था। अतः मा0 अध्यक्ष ने सूचित किया कि प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य उपस्थित न होने के कारण प्रश्नकाल नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2016 के प्रथम सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

पेयजल मंत्री ने उत्तर प्रदेश जल, संभरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की घारा–50(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 (08 वर्षो) तक के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन (बैलेंसशीट) को सदन के पटल पर रखा।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्र से अच्छी शिक्षा के नाम से हो रहे पलायन को रोकने के लिये निशुल्क आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के ग्राम पंचायत महरूड़ी के तोक दोसादा, ककडथल व चतुरानी, धूरा तथा ग्राम पंचायत लमजिगड़ा के तोक छिपछिया व सुलडेरा को राजस्व ग्राम बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के राजकीय इण्टर कालेज सनगाड़ एवं राजकीय इण्टर कालेज भन्तोला में एन0सी0सी0 पाठ्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा रेंज कार्यालय धरमघर के अन्तर्गत वन पंचायत बास्ती, सनगाड, सिमगढ़ी, मझेड़ा, गौखुरी, पठक्यूडा, लमजिगडा, महरूडी, पातल, बडगांव, सिलंगार, चौनाला, स्यॉकोट, जलमानी, उत्तरदुग, भुलगांव, जाखनी, मजगांव, भन्तोला, शेरी व झांकरा कुल 21 वन पंचायत जो लगभग 15 कि0मी0 में है को जायका योजना में चयनित करने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर की पृथक साधन सहकारी संघ की स्वीकृति तथा जनपद बागेश्वर में नये सिरे से सहकारी समितियों का परिसीमन कर नये समितियों के गठन के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत तहसील दुगनाकुरी के न्याय पंचायत दयाली कुरोली के ग्राम पंचायत दयाली कुरोली, पपोली व जारती को मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दुर्गम क्षेत्र कमेडीदेवी स्थान में क्षेत्रीय लोगों के पुस्तैनी परम्परागत हस्तशिल्प प्रशिक्षण संस्थान एवं क्रय विक्रय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र न्याय पंचायत सिमगढ़ी में स्थित जूनियर हाईस्कूल (25 वर्ष पुराना) को उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट, तहसील काण्डा, न्याय पंचायत सिमगढ़ी के ग्राम पंचायत महरूड़ी में टोटिया स्टेडियम, ग्राम पंचायत भन्तोला में फेणीनाग स्टेडियम तथा ग्राम पंचायत पठक्यूड़ा के स्यांकोट में मॉ जगदम्बा स्टेडियम में खेल मैदानों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के तहसील काण्डा में राजकीय इण्टर कालेज स्यांकोट में एन0सी0सी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत तहसील काण्डा के ग्राम पंचायत महरूडी में स्थित कस्तूरा मृग अनुसंधान केन्द्र (फार्म) को वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सुन्दर सिंह मेहरा, ग्राम पातल पो0 स्यांकोट, जिलाबागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र न्याय पंचायत सिमगढ़ी के ग्राम पंचायत मझेड़ा (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) के सम्बन्ध में" श्री मनोज कुमार, ग्राम मझेडा पो0 सिमगढी, जिला बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

आवास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकारण विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

आवास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकारण विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 की बैठक में दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

नवम्बर, 2016

18 शुक्रवार (1)औपचारिक कार्य

(1)विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण**(15मिनट)**
2. सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
3. भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण।**(15मिनट)**

4. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
5. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण।**(15मिनट)**
6. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
7. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**
8. श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
9. उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतक परिसीमा विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
10. उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
11. उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(15मिनट)**
12. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
13. उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
14. क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
15. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
16. उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
17. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
18. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
19. उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
20. उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(15मिनट)**
21. उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन विचार एवं पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 33, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 53, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 51, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 7, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 51, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 7, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

न्याय एवं विधि परामर्शी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 51, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि क्वांटम विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 6, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2016 वापस लिये जाने की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गयी।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 19, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकारण विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 17, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य नदी तटीय विकास प्राधिकारण विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

12:00 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की।

सदन की कार्यवाही 12:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''यह सरकार संकल्प व्यक्त करती है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट सत्र भराड़ीसैण (गैरसैण) जिला चमोली में आहूत किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह सदन भराड़ीसैण (गैरसैण) में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने हेतु सरकार से रु0 1000 करोड़ (रु एक हजार करोड़) की वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध करती है।''

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

राजस्व मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि '' रु0 500/– एवं 1000/– के नोट चलन से बाहर होने तथा इन नोटों को जिला सहकारी बैंक में स्वीकार न किए जाने के फलस्वरुप राज्य के कृषक प्रत्यक्ष रुप से प्रभावि

त हो रहे है। जिला सहकारी बैंक की राज्य में कुल 263 शाखाएं तथा 758 प्राथमिक कृषि समिति कार्यरत हैं इन शाखाओं तथा प्राथमिक कृषि समितियों द्वरा राज्य में फसली ऋण कृषि मियादी ऋण तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के रूप में 247872 कृषकों कुल रू0 2617 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं जो कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए फसली ऋण कृषि मियादी ऋण तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋण का 37 प्रतिशत भौतिक रूप में तथा 26 प्रतिशत वित्तीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। स्पष्ट है कि राज्य के कृषकों का एक बड़ा भाग जिला सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंक से सम्बन्धित प्राथमिक कृषि समितियों के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन करता है। जिला सहकारी बैंक द्वारा उद्योग क्षेत्र में कुल 6103 लाभार्थियों को रू0 507 करोड़ तथा सेवा क्षेत्र में 9575 लाभार्थियों को रू0 748 करोड़ के ऋण वितरित किये गए हैं।

2वर्तमान में धान की फसल कृषकों द्वारा बाजार में बेचने के उपरान्त प्राप्त धनराशि कृषकों के पास नकद रूप में उपलब्ध है जो कि अधिकांशतः रू0500/– एवं 1000/– के मूल्य वर्ग में होने के कारण कृषकों के जिला सहकारी बैंक के खातों में जमा नहीं हो पा रही है। एक ओर ऋण का पुनर्भगतान न होने के कारण ऋण पर चक्रवर्ती ब्याज का भार इन कृषकों को वहन करना पड़ रहा है तथा दूसरी ओर बैंक की गैर निस्पादित सम्पत्तियों (एन0पी0ए0) में भी वृद्धि हो सकती है। जो किसान समितियों से रवी की फसल हेतु बीज खाद तथा दवाइयां इत्यादि खरीदना चाहते हैं वह कृषक अपने उपलब्धरू0500/– एवं 1000/– के मूल्य वर्ग की धनराशि से इनको नहीं खरीद पा रहे हैं जिससे इन कृषकों द्वारा रवी की फसल रोपित करने में अत्यधिक कठिनाइयां उतपन्न हो रही हैं। अतः उपरोक्त वर्णित स्थितियों को संज्ञान में लेने के अनुरोध के साथ केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जिला सहकारी बैंक में रु0 500/– एवं 1000/– के नोट को स्वीकार करने के आदेश अविलम्ब जारी करने का कष्ट करें ताकि राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों/जमा कर्ताओं को आर्थिक कुचक्र में फसनें से बचाया जा सके।''

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान प्रारम्भ हुआ। श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि अनुदान की मांगों पर कटौती के प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं:–

(1) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत **रू0 58000 हजार (पॉच करोड़ अस्सी लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(2) विधि एवं न्याय मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 87057 हजार (आठ करोड़ सत्तर लाख सत्तावन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(3) राजस्व मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत **रू0 2042334 हजार (दो सौ चार करोड़ तेइस लाख चौंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(4) वित्त मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत **रू0 3082195 हजार (तीन सौ आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(5) गृह मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत **रू0 179554 हजार (सत्रह करोड़ पन्चानवे लाख चौवन हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(6) शिक्षा मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत **रू0 1531963 हजार (एक सौ तिरपन करोड़ उन्नीस लाख तिरसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(7) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **रू0 517833 हजार (इक्यावन करोड़ अठ्ठहत्तर लाख तैंतीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(8) पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत **रू0 1835421 हजार (एक सौ तिरासी करोड़ चौवन लाख इक्कीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(9) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत **रू0 300000 हजार (तीस करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(10) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत **रू0 2018777 हजार (दो सौ एक करोड़ सत्तासी लाख सतहत्तर हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(11) श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत **रू0 57093 हजार (पॉच करोड़ सत्तर लाख तिरानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(12) कृषि मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत **रू0 761700 हजार (छिहत्तर करोड़ सत्रह लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–17 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(13) सहकारिता मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव कियो कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत **रू0 20000 हजार (दो करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(14) ग्राम्य विकास मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव कियो कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत **रू0 51781 हजार (पॉच करोड़ सत्रह लाख इक्यासी हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(15) सिंचाई मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत **रू0 28009 हजार (दो करोड़ अस्सी लाख नौ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(16) संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–21 उर्जा के अन्तर्गत **रू0 20000 हजार (दो करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(17) मुख्यमंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत **रू0 809600 हजार (अस्सी करोड़ छियानवे लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(18) उद्योग मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत **रू0 478460 हजार (सैंतालीस करोड़ चौरासी लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(19) परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत **रू0 111000 हजार (ग्यारह करोड़ दस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(20) खाद्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत **रू0 300360 हजार (तीस करोड़ तीन लाख साठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(21) पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत **रू0 22300 हजार (दो करोड़ तेइस लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(22) वन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत **रू0 120000 हजार (बारह करोड़)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(23) पशुपालन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रू0 259825 हजार (पच्चीस करोड़ अठ्ठानवे लाख पच्चीस हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(24) उद्यान मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–29 औद्यानिक विकास के अन्तर्गत **रू0 65400 हजार (छः करोड़ चौवन लाख)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(25) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 144293 हजार (चौदह करोड़ बयालिस लाख तिरानवे हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

(26) समाज कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रू0 85965 हजार (आठ करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार)** रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रुप से सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड 3, खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2016–2017 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ हुईः–

''राज्य सरकार प्रदेश में कृषि तथा उद्यान एवं इन पर आधारित उद्योगों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी जिससे राज्य के पर्वतीय अंचल के कृषि, औद्यानिक उत्पाद तथा प्रसंस्करण उद्योंगों को इस प्रकार विकसित किया जा सके जिसमें प्रदेश को न केवल खाद्य सुरक्षा

प्राप्त को सके अपितु यह उत्पाद प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सके तथा पर्यावरण संरक्षण वृद्धि के साथ–साथ स्थानीय रोजगार वृद्धि का साधन बने।''

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 10 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित सरकारी संकल्प पर चर्चा प्रारम्भ हुई :–

''राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्द्धन, विस्तार, समता तथा सुधारों के लिये ऐसी नीतियां तथा कार्यक्रम क्रियान्वित करेगी, जिससे प्रदेश के सभी वर्गो के प्रत्येक छात्र–छात्रा एवं युवाओं को सुलभ एवं उच्च गुणवत्ता की ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि वह समाज के उपयोगी, उत्पादक, जागरूक एवं जिम्मेदार सदस्य बन सकें। वह अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक स्वनिर्भरता प्रदान कर सकें और सार्थक रोजगार के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक उत्थान में योगदान कर सकें।''

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जायें।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री महावीर सिंह रांगड, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के विकेन्द्रीयकृत विकास हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में टनकपुर स्थित 'मां पूर्णागिरी धाम' हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं प्रदेश की राजधानी देहरादून से रेलवे लाईन का निर्माण, क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं जन सामान्य के हित में तथा पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में विकास खण्डों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, विकास खण्डों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।''

श्री अध्यक्ष ने श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा परन्तु **मा0 सदस्य उपस्थित नहीं थे** :–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड को देवभूमि के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने हेतु जनहित व प्रदेश सरकार शराब बन्द किये जाने पर विचार करें।''

श्री अध्यक्ष ने श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत करने हेतु नाम पुकारा परन्तु **मा0 सदस्य उपस्थित नहीं थे** :–

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है, कि उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों के आकांक्षाओं के अनुरूप गैरसैंण, जनपद चमोली को उत्तराखण्ड राज्य की स्थायी राजधानी घोषित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय, जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। ''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने तृतीय विधान सभा की अब तक की यात्रा तथा इस दौरान अपने अनुभवों एवं उद्गारों को सदन से साझा किया तथा महामहिम श्री राज्यपाल, सभी मा0 सदस्यों, मा0 नेता सदन, पूर्व मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा समितियों के मा0 सभापति, प्रदेश की जनता, गैरसैण की जनता, शासन एवं सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियो, पुलिस कार्मिकों तथा अग्निशमन दल के अधिकारियों एवं कार्मिकों, पत्रकार बन्धुओं, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का सदन के सुचारु संचालन में उनके उत्कृष्ट कार्य, सहयोग तथा परामर्श हेतु धन्यवाद ज्ञापन किया एवं आगामी चुनाव में सभी मा0 सदस्यों को उनके निर्वाचन हेतु अग्रिम शुभकामनाएं प्रदान की।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि नेता सदन कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तुत करें।

मा0 नेता सदन ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ।

सदन की कार्यवाही 02 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।